HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15087/2025

Nandlal S/o Gopal, Aged About 35 Years, Khoria Ps Rathanjana District Pratapgarh Raj. (At Present Lodged In Dist. Jail Pratapgarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ramesh Chandra Purohit
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**जलोदा जागीर जिला प्रतापगढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**72/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि सहअभियुक्त भैयालाल के सचेत आधिपत्य से वाणिज्यिक मात्रा में डोडाचूरा बरामद किया गया है और सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.11.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण/अनुसंधान में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अन्य सहअभियुक्त भैयालाल ने अपने पूछताछ नोट में लिया है और पूछताछ नोट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व मुख्य अभियुक्त भैयालाल के मध्य परस्पर वार्ता होना पाया गया है और इस संदर्भ में कॉल डिटेल संकलित की गई है। अतः कॉल डिटेल के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला बनता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगणों पर टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। इस प्रकरण स्वीकृत रूप से अन्य सहअभियुक्त भैयालाल से वाणिज्यिक मात्रा में डोडाचूरा बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को सूचना के आधार पर प्रकरण में सम्बद्ध किया गया है। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त की कॉल डिटेल अवश्य दर्शित की गई है, लेकिन अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर इस तथ्य की नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त डोडाचूरा अन्य सहअभियुक्त को परिवहित किया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **नन्दलाल पुत्र गोपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।
2. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
3. इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

74-Yogeshwar Sharma/-